

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि.प्रा. (II) व<sup>3</sup>- 3/ 2011-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार  
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना

विषय- नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु स्वीकृत राशि रु. 9,33,50,000=00 (नौ करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 1,50,00,000=00 (एक करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1668, दिनांक 24.07.2015 के द्वारा नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के स्थायी परिसर में नवनिर्मित भवन में कार्यालय, वर्गकक्ष, कर्मशाला, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं छात्रावास के लिए आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. 9,33,50,000=00 (नौ करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु. 4,20,29,000=00 मात्र तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 3,21,00,000=00 मात्र अर्थात् कुल रु. 7,41,29,000=00 (सात करोड़ इकतालीस लाख उनतीस हजार रुपये) मात्र संस्थान को अबतक विमुक्त की जा चुकी है।

3. राज्य सरकार ने नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 1,50,00,000=00 (एक करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

4. उक्त विमुक्ति राशि, वित्तीय वर्ष 2017-18 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष- 4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-105 -इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0102- पोलिटेकनिक/ इंजीनियरिंग /तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 52-मशीनरी एवं उपस्कर विस्तृत शीर्ष के 02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43- 420201050102 है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी होंगे।

6. इस राशि की निकासी कोषागार, हिलसा से की जायेगी।

7. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

8. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होंगे तथा क्रय की गई सामग्रियों की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।

